

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

क्रमांक प. 1(1) गृह-10/07पार्ट

जयपुर, दिनांक: 15.12.2021

-:संशोधित आज्ञा:-

इस विभाग के संमसंख्यक आदेश दिनांक 08.12.2021 के द्वारा राजस्थान अभियोजन सेवा के अधिकारियों के राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अधिकारियों के कॉलम संख्या 3 में पद एवं पदस्थापन स्थान क्रमशः 1. उप निदेशक अभियोजन हाल अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, भ्र0नि0ब्यूरो, राज. जयपुर (पद विरुद्ध) एवं 2. उप निदेशक अभियोजन हाल अति. निदेशक अभियोजन (अभि.) अभियोजन निदेशालय राज. जयपुर (पद विरुद्ध) पढा जावें।

आज्ञा से,



(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
5. अति. महानिदेशक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं चित्तौडगढ़।
7. निदेशक पेंशन विभाग, राज. जयपुर।
8. निदेशक अभियोजन राज. जयपुर।
9. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
10. अतिरिक्त/उप निदेशक अभियोजन, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर।
11. सहायक निदेशक अभियोजन जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं चित्तौडगढ़।
12. समस्त प्रकोष्ठ अभियोजन निदेशालय।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय उक्त संशोधित आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
15. रक्षित/निजी पत्रावली।


शासन सचिव, गृह (विधि)